महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–2418 / सत्तर–3–2023–09(01) / 2023(L4)

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 13 सितम्बर, 2023

विषय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा चिह्नित 18 कार्यान्वयन बिन्दुओं में से बिन्दु संख्या L4-Adoption of Guidelines on Curricular & Credit Framework For Four Year Undergraduate Programme (FYUP) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या–972 / रा0उ0शि0प0 / 42 / 23, दिनांक 22.08.2023 एवं तत्संलग्नक कुलपति, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की अध्यक्षता में गठित समिति की आख्या / मॉडल ड्राफ्ट संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संदर्भगत आख्या / मॉडल ड्राफ्ट पर अपना सुस्पष्ट सुझाव / अभिमत / मन्तव्य शासन को प्रत्येक दशा में 10 दिन के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– यह भी अवगत कराना है कि यदि किसी विश्वविद्यालय द्वारा सन्दर्भगत आख्या / मॉडल ड्राफ्ट पर समयान्तर्गत कोई सुझाव / अभिमत / मन्तव्य शासन को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ड्राफ्ट पर उनकी डीम्ड सहमति (Deemed Concurs) मानी जायेगी। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कुलपति, समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री त्यागी), उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
6– प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह)
अनु सचिव।

RPS GO

संख्या – 2418 / सत्तर-3-2023

E-mail: upshec@gmail.com,
upsheclko@yahoo.com

Phone : 0522-2287025
Website : www.upshec.com

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद,

619, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001

पत्रांक 972/रा0उ0शि0प0/42/23
दिनांक 22 अगस्त, 2023

सेवा में,

विशेष सचिव
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
उ0प्र0 शासन।

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एवं 18 एक्सनेबिल विन्दु संख्या- ·. L-4 की रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 681/सत्तर–3–2023–09(01)/2023 (L-4) दिनांक 04 मार्च, 2023 द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट (हार्ड कापी) आपके समक्ष सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 दिनेश कुमार)
अपर सचिव

पत्रांक– — /रा0उ0शि0प0/ —/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को सदस्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।

(डॉ0 दिनेश कुमार)
अपर सचिव।

24'8'2023

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

दिनांक: 21 अप्रैल, 2023

बैठक की कार्यवाही

उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 681/सत्तर–3–2023–09(01)/2023 (L-4), दिनांक 04 मार्च 2023 के द्वारा गठित समिति की दो बैठकें दिनांक 29–03–2023 व 21–04–2023 को आनलाइन सम्पन्न हुई। जिनमें निम्न लिखित उपस्थित रहे।

1. प्रो0 आशु रानी, कुलपति, DBRA वि0वि0 आगरा –अध्यक्षा
2. प्रो0 शिवराम खारा, कुलपति, शारदा वि0वि0 गौतमबुद्ध नगर–सदस्य
3. प्रो0 यशोधरा शर्मा, प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, आंवलखेड़ा, आगरा–सदस्य
4. प्रो0 हरे कृष्ण, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ–सदस्य
5. प्रो0 विजय कुमार सिंह, प्राचार्य, एन0डी0 कालेज, शिकोहावाद –सदस्य
6. प्रो0 नीतू सिंह, राजकीय महाविद्यालय, नैनी प्रयागराज –सदस्य
7. प्रो0 रश्मि कुमारी, कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर –सदस्य
8. श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी, अपर सचिव, उ0प्र0, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ –सदस्य सचिव/समन्वयक
9. प्रो0 दिनेश चन्द शर्मा, कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर–विशेष आमन्त्रित

प्रथम बैठक दिनांक 29–03–2023 में अध्यक्षा महोदया नेNEP- 2020 UGC FYUPसंरचना तथा उत्तर प्रदेश की वर्तमान संरचना की मैपिंग हेतु सभी सदस्यों के विचार आमन्त्रित किये। सदस्यों का मत था कि यू0जी0सी0 के द्वारा जारी किये गये Curriculum& Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) में 20 Credit प्रति सेमेस्टर का प्रावधान है जबकि उत्तर प्रदेश में 2021 से लागू NEP-2020 की संरचना में Creditsअधिकहै। शिक्षकों एवं छात्रो की ओर से भी पिछले दो वर्षो में यह महसूस किया जा रहा है कि छात्रों पर Creditsका भार ज्यादा है और उसे कुछ कम किया जा सकता है। अतः अध्यक्षा महोदया ने सदस्यों से वर्तमान UG-PGसंरचना में कतिपय संशोधन करने को कहा जिससे कि Creditsकम करके UGCके FYUPके अनुसार किया जा सके। सदस्य सचिव ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया जिसके साथ बैठक समाप्त हुई।

समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 21–04–2023 को आनलाइन हुई। इसमेंस्नातक/परास्नातक कार्यक्रमों/ पाठ्यक्रमों की एक संरचना प्रस्तुत की गई तथा उस पर विस्तार से चर्चा हुई । तत्पश्चात समिति ने नई संरचना को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। स्नातक/परास्नातक कार्यक्रमों/ पाठ्यक्रमों की संरचना विस्तृत रूप में संलग्न है।

सदस्य सचिव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

संलग्नक:स्नातक/ परास्नातक कार्यक्रमों/ पाठ्यक्रमों की संरचना

AshuRani

स्नातक / परास्नातक कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों की संरचना

1. संदर्भ(Introduction)-
यू0जी0सी0 के द्वारा जारी किये गये Curriculum & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) में 20 Credit प्रति सेमेस्टर का प्रावधान है जबकि उत्तर प्रदेश में शासनादेश संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 टी.सी. दिनांक 13 जुलाई, 2021 के द्वारालागू NEP-2020 की संरचना में Creditsअधिक हैं। शिक्षकों एवं छात्रों की ओर से भी पिछले दो वर्षों में यह महसूस किया जा रहा है कि छात्रों पर Credits का भार ज्यादा है और उसे कुछ कम किया जा सकता है। अतः वर्तमान UG-PG संरचना में कतिपय संशोधन तालिकाएं अंतिम पृष्ठ पर दी गई है तथा उसका विस्तृत विवरण निम्नवत है।

2. क्षेत्र (Scope)-

2.1(अ) यह व्यवस्था कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों मे त्रिवर्षीय बहुविषयकस्नातकतथा चर्तुवर्षीय बहुविषयक नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी0ए0, बी0एससी0 एवं बी0काम0 तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम0ए0, एम0एससी0, एम0काम0 कार्यक्रमों में लागू होगी।

2.1 (ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (मानद), यथा बी0एससी0 (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी0सी0ए0, बी0बी0ए0 आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।

2.2 त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Min. Common Syllabus) पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। वह आगे भी लागू होंगे।

2.3 (अ) बहुविषयक त्रिवर्षीय स्नातक, चर्तुवर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित),परास्नातक एवं प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क इत्यादि में विषयों तथा क्रेडिटस की विस्तृत जानकारी तालिका 1 में दी गई है।

(ब) त्रिवर्षीयएकल विषय स्नातक, स्नातक (मानद), यथा बी0एससी0 (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी0सी0ए0, बी0बी0ए0 आदि के लिए व्यवस्था तालिका 2 में दी गई है।

2.4 यह सभी व्यवस्थायें सत्र 2024-25 से लागू होंगी।

2.5 अन्यसंकायो अथवा कार्यक्रमों यथा चिकित्सा, तकनीकि, शिक्षक शिक्षा, कृषि आदि में नियामक संस्थाओंके नियम लागू होते हैं, उन के लिए व्यवस्था का निर्धारण नियामक संस्थाओ यथा एम0सी0आई0, ए0आई0सी0टी0ई0, एन0सी0टी0ई0 आदि के एन0ई0पी0-2020 के अनुरूपनए पाठ्यक्रम व संरचना आने पर किया जायेगा।

3. परिभाषाएं-

3.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम(Programme)-
एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक, स्नातक (मानद) डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (मानद)एवं स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री, पॉच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा-बी0ए0, बी0एससी0, बी0कॉम, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एससी0, एम0कॉम0, पीएच0डी0 इत्यादि।

3.2 संकाय (Faculty)-

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 15–06–2021 के अनुसार होगी ।

3.2.3 उक्त शासनादेश में निर्धारित कतिपयसंकायों को और अधिक विभाजित किया जाएगा जैसे कि विज्ञान संकाय को गणितीय विज्ञान, जैविक विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान संकाय तथाभाषा संकाय को भारतीय व विदेशी भाषा संकायों में इत्यादि।

3.2.4 कला एवं विज्ञान संकायों में विभाजन को बहुविषयकता के लिए अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री क्रमशः कला संकाय (B.A.)एवं विज्ञान संकाय (B.Sc.)की ही मिलेगी। इसी प्रकार ग्रामीण विज्ञान जो कि कला संकाय से विभाजित हुआ है, में भी कला संकाय (B.A.)की डिग्री मिलेगी।

3.2.5 संकायों में विशयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विशय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविशयकता उपलब्ध कराने हेतु है।विभिन्न विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी।

3.3 विषय (Subject)-यथा

3.3.1संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि ।

3.3.2एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा ।

3.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)-

3.4.1एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2थ्योरी, प्रैक्टिकल और शोध परियोजना के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा ।

4. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनरविषयके इलेक्टिव पेपर

4.1 (अ)विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा। जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे समेस्टर) तक कर सकता है।

(ब) चतुर्वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय का चयन करेगा तथा पंचम व षष्टम् वर्ष में भी उसी विषय को पढ़ेगा।

(स) तीन वर्षीय स्नातक के बाद विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश ले सकता है, (जिसमें Pre-requistie के हिसाब से वह अर्ह हो), परन्तु एक वर्ष की परास्नातक की पढाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूरे उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।

(द) त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के बाद चतुर्वर्षीय डिग्री के लिए भी, छात्र को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।

4.2 तीसरे गौण (माइनर) विषय का चुनावविद्यार्थी अपने संकाय अथवा बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्धता के आधार पर कर सकता है।

4.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

4.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

4.5 तीसरे गौंण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय कापेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में Pre-requisiteका ध्यान रखा जाना चाहिये। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह तय कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स माइनर के रूप में दिया जा सकता है।

4.6 सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय/विषय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (4/6 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगी एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होगी।

5. कौषल विकास कोर्स (Vocational /Skill development Courses)

5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (प्रथम तीन सेमेस्टरर्स) में प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x3=9 क्रेडिट के कुल तीन पाठ्यक्रम)करना अनिवार्य होगा।

5.2 कौशल विकास कोर्स उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 1969/सत्तर-3-2021 दिनांक 18 अगस्त 2021 में दिये गयेप्रावधानों के अनुसार चलाए जाएं ।

5.3 यदि विद्यार्थी यू0जी0सी0 अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स तीन या उससे अधिक क्रेडिट का करता है, तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान कर दिए जायेंगे। स्नातक के लिए उसे कुल 9 क्रेडिट अर्जित करने हैं जो वह कम अथवा नियमित अधिकतम समय में पूरे कर सकता है।

6. सह-पाठ्यकम/कोर्स(Co-Curricular Courses)

6.1स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टरर्स)के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह-पाठ्यकम/कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे।

6.2 इन सह-पाठ्यकम कोर्सो की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र द्वारा करायी जायेगी। इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत वही होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपरर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

6.3सभीविश्वविद्यालय तृतीय सेमेस्टर में एक भारतीय अथवा स्थानीय भाषा का सह-पाठ्यकमकोर्स अनिवार्य रूप से चलायेंगे। इस हेतु विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को अधिकाधिक भाषाओं का विकल्प प्रदान करेंगे। अतः चार अनिवार्य सह-पाठ्यकम कोर्सेस में से एक भारतीय/स्थानीय भाषा का कोर्स करना अनिवार्य होगा।

6.4 सभीविश्वविद्यालय extra curricular activitiesएवं hobby based कोर्सेसको बढावा देने हेतु कतिपयसह–पाठ्यकम कोर्स extra curricular activities पर आधरित बनाऐगे। इन कोर्सेस का सिलेबस, पठन, पाठन व मूल्यांकन प्रकिया को BOS एवं विद्वत परिषद में अनुमोदन कराया जाऐगा। कोई भी विद्यार्थी चार अनिवार्य सह–पाठ्यकम पेपरर्स /कोर्सेस में से अधिकतम एक कोर्स extra curricular activity का ले सकता है। किन्तु यह एक विकल्प है न कि अनिवार्यता।

6.5 सभी विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिक से अधिक सह–पाठ्यकम कोर्सेसoffer करें जिनमें से विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार इन पेपरर्स/कोर्सेस का चयन कर सके।

7. शोध परियोजना(Research Project)

7.1 स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के बाद ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी अपने चुने गए दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा। ग्रीष्मावकाश में पूर्ण न होने की स्थिति में यह शोध परियोजना तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में भी की जा सकती है किंतु द्वितीय वर्षउक्त शोध परियोजना को उत्तीर्ण करने पर ही पूर्ण माना जाएगा ।

7.2 स्नातक चतुर्थ वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर्स में मिलाकर विद्यार्थी चार – चारक्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है । यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेने होंगे ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो कोर्स के स्थान पर । स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होकर जाने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जाएगी ।

7.3 स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार – चारक्रेडिटसकी होगी ।

7.4 पी.जी.डी.आर. में चार क्रेडिट की शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री–पीएच. डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा । स्नातक (मानद शोध सहित) उपाधि प्राप्तकर्ता बिना परास्नातक पूर्ण किये भी पीएच0–डी0 प्रवेश में प्रवेश प्रक्रिया जैसे प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए अर्ह होगा।

7.5 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेंगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकि संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है ।

7.6 यह शोध परियोजना इन्टरडिस्प्लिनरी/मल्टी डिस्प्लिनरी भी हो सकती है । यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/ सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है ।

7.7 स्नातक स्तर पर विद्यार्थी द्वितीय वर्ष के पश्चात की गई शोध परियोजना का रिपोर्ट विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा ।

7.8 स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertaion) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय जमा करेगा ।

7.9 पी.जी.डी.आर.स्तर पर विद्यार्थी प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क के पश्चात की गई शोध परियोजना का प्रबंध (Report/Dissertaion) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा ।

7.10 उपरोक्त सभी शोध परियोजनाओं का मूल्यॉकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में से किया जायेगा ।

7.11 स्नातक, स्नातक(मानद शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा ।

8. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

8.2 प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभारके बराबर होगा।

8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" (ABACUS) के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा-निर्देश अलग से समय-समय पर जारी किए जाते हैं। विद्यार्थी केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" का लाभ भी क्रेडिट हस्तान्तरण के लिए ले सकता है।

8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है । इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट अर्जित करने पर चर्तुवर्षीय स्नातक(मानद), अथवा स्नातक(मानद शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 200 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 216 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी. आर. ले सकता है ।

त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने पर विद्यार्थी एक वर्ष की 40 केडिट की इटर्नशिप/एपरेन्टिसशिपNATS या समकक्ष/ समतुल्य से कर सकता है। यह इटर्नशिप विद्यार्थी 6 महीने की दो अथवा 4 महीने की तीन अथवा 3 महीने की चार भागों में भी कर सकता है। यह इटर्नशिप विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के मार्गदर्शन में सहयोगी संस्था/इन्डस्ट्री से की जायेगी। 40 केडिट (1200 घण्टों) की इस इटर्नशिप के पश्चात् विद्यार्थी को स्नातक (इटर्नशिप/एपरेन्टिसशिप सहित) की उपाधि दी जायेगी।

8.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा । उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे । यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 40 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 40 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 80(40+40)क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है । इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी । यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 120 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

8.6 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner)कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अतराल

की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अन्तराल के दौरान वह किसी भी अन्य कार्य को करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

8.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उन्हें उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

8.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसीसंकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।

जैसे यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (prerequisite)की आवश्यकता नहीं होगी।

8.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit)कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8.10 विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 20 प्रतिशत तक क्रेडिट आनलाइन शिक्षा तथा कौशल विकास कोर्स द्वारा कर सकता है।

9. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

9.1 क्रेडिट वैलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

9.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

10. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय-सारणी (Time table)

10.1 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय-सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होती हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।

10.2 सभी शिक्षण संस्थान समय-सारणी (Time table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों।

11. ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक स्तर पर शासनादेश संख्या 1032/सत्तर-3-2022-08(35)/2020दिनांक 20 अप्रैल 2022 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार ग्रेडिंग प्रणाली को चलाया जाए।

स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इसी प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली विकसित कर सकते हैं।

Uttar Pradesh NEP-2020 UG-PG course structure aligned with FYUGP of UGC

Table 1: (To be in effect from 2024-25 Session)

{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation / Internship/ Field or survey work	{Minimum Credits} For the year & NCrF Credit Level
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Any Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
Certificate in Faculty	1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1(3)	1(2)		40 Level 4.5
		II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1(3)	1(2)		
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1(3)	1(2)or Extra Curr*		40 Level 5
		IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)			1(2) (Indian/Local Language)	1(3)*	
{80+40=120} 3-year UG Degree	3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					40 Level 5.5
		VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					
Fourth Year									
*Apprenticeship / Internship embedded UG degree programme	4	12 Months Apprenticeship/ Internship through NATS or from equevelent organization/ Industry/institute				1 (40) 1200 hours			40 Level 6
OR									
{120+40=160} 4-year UG Degree (Honours)	4	VII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						40 Level 6
		VIII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						
OR									
{120+40=160} 4-year UG Degree (Honours with Research)	4	VII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)		Students who secure 75% marks in the first 6 semesters			1 (4)	40 Level 6
		VIII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
200 Master in Faculty	5	IX	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	40 Level 6.5
		X	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
{216} PGDR in Subject	6	XI	Th-4(2)	1 (4)Research Methodology				1 (4)	16 Level 6.5
Ph.D. in Subject	6,7,8	XII-XVI						Ph. D. Thesis	Level 8

Note: Blue Colour: No. of papers Red colour: Credits Purple colour: Th-Theory, Pract-Practical *Apprenticeship / Internship embedded degree programme degree holder have to do 2 year PG programme. It is purely optional for Universities, to run and give this degree.

* See 7.1

3 year Honors/ Single subject programme structure
Table 2: (To be in effect from 2024-25 Session)

{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation / Internship / Field or survey work	{Minimum Credits} For the year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4/5 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Any Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
{40} Certificate in Faculty	1	I	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (4/5/6)	1(3)	1(2)		40
		II	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)			1(3)	1(2)		
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (4/5/6)	1(3)	1(2)or Extra Curr*		40
		IV	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)				1(2) (Indian/Local Language)	1(3)* Internship	
{80+40=120} 3-year Single Subject Plain UG Degree	3	V	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1(4)	40
		VI	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1(4)	
					or				
{80+50=130} 3-year Single Subject Honours UG Degree		V	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	50
		VI	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	

Important Notes:

- Single subject 3 years UG programme examples: BBA, BCA, BHM, BSc (Chemistry), BSc, Chemistry (Hnours), Etc.
- After both the above programmes (3 years plain or Honours degree), one has to pursue 4th/ 5th years of UG/ PG programmes as given in the Table 1, in the same manner as the one who completes, 3 years UG degree of Table 1.

* See 7.1

डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याः शैक्षिक/400 /23
दिनांकः 7-10-2023

कार्यालय ज्ञाप

शासन के पत्र संख्या–2418/सत्तर–3–2023–09(01)/2023 (L4) दिनांक 13 सितम्बर, 2023 के अनुपालन में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 21.09.2023 के आलोक में समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध महाविद्यालय एवं संकायाध्यक्ष/निदेशक/विभागाध्यक्ष, आवासीय संस्थान को सूचित किया जाता है कि Four Year undergradudate Programme (FYUP) के सम्बन्ध में शासन के संलग्न ड्राफ्ट पर अपने सुझाव/अभिमत/मन्तव्य 05 दिन में अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संकायाध्यक्ष/निदेशक/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय आवासीय परिसर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित अशासकीय /स्ववित्तपोषित महाविद्यालय।
3. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।
4. सहायक कुलसचिव कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. समस्त सम्बन्धित सहायक कुलसचिव।
6. गार्ड फाइल।

कुलसचिव